भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3635
17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसान आत्महत्या के संबंध में एनसीआरबी डेटा
3635. श्री जी. कुमार नायकः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने राज्यों में किसान आत्महत्या की दरों में असमानता का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का विश्लेषण किया है और ऐसी असमानताओं के क्या कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार ने आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों सहित किसान आत्महत्याओं के अंतर्निहित कारणों को समझने के लिए कोई अध्ययन किया है या कराया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या विगत दस वर्षों के दौरान किसान कल्याण के लिए शुरू किए गए नीतिगत उपाय और योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने और आत्महत्याओं को कम करने में सफल रहे हैं और यदि हां, तो इसका मापनीय प्रभाव क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या निजी ऋणों और अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर किसानों की निर्भरता को कम करने के लिए विशिष्ट उपाय कार्यान्वित किए गए हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और उनकी प्रभावशीलता क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.), अपने प्रकाशन 'एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुईसाइड्स इन इंडिया' (ए.डी.एस.आई.) में आत्महत्याओं के बारे में जानकारी संकलित एवं प्रसारित करता है। वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट एन.सी.आर.बी. की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है। ए.डी.एस.आई. रिपोर्ट 2020, 2021 और 2022 में किसानों की आत्महत्या के अलग-अलग कारण नहीं बताए गए हैं।

कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता प्रदान करके किसानों के कल्याण के लिए हैं। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 21,933.50 करोड़ रुपये बजट अनुमान से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के दौरान 1,22,528.77 करोड़ रुपये बजट अनुमान कर दिया है। किसानों की समग्र आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में लाभकारी रिटर्न दिलाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-के.एम.वाई.)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)
4. संशोधित ब्याज छूट योजना (एम.आई.एस.एस.)
5. एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.)
6. किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन
7. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
8. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्री फंड) (एग्रीश्योर)
9. प्रति बूंद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.)
10. कृषि विस्तार उप-मिशन (एस.एम.ए.ई.)
11. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.)
12. बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एस.एम.एस.पी.)
13. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)
14. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.)
15. डिजिटल कृषि मिशन
16. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आई.एस.ए.एम.)-राष्ट्रीय कृषि बाजार (आई.एस.ए.एम.-ई नाम)
17. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आई.एस.ए.एम.) - अन्य (आई.ए.स.ए.एम.-अन्य)
18. समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.)
19. मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एस.एच.सी.)
20. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)
21. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)-ऑयल पाम
22. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)-तिलहन
23. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एन.बी.एच.एम.)
24. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
25. कृषि वानिकी
26. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.)
27. राष्ट्रीय बांस मिशन

सरकार की पहल के उल्लेखनीय परिणाम सामने आ रहे हैं जिसके फलस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है जिनमें से कई सफल किसान हैं जिनकी आय दोगुनी से अधिक बढ़ गई है।

घरेलू उपभोग व्यय पर एन.एस.एस.ओ. सर्वेक्षण (वर्ष 2022-23) में एक विवरण का उल्लेख किया गया है, जो अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एम.पी.सी.ई.) के अनुमानों की तुलना निम्नानुसार दर्शाता है:

सेक्टर	विभिन्न अवधि में औसत एमपीसीई (रुपये)	
	वर्ष 2011-12 एनएसएस (68वां दौर)	वर्ष 2022-2023
ग्रामीण	1,430	3,773
शहरी	2,630	6,459

खेती को अधिक लाभकारी बनाने और किसानों को वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान शुरू की गई नई योजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(घ): अगस्त 1998 से कार्यान्वित की जा रही किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) योजना किसानों की उत्पादन ऋण आवश्यकताओं को समय पर और निर्बाध तरीके से पूरा करने के लिए एक अभिनव ऋण वितरण तंत्र के रूप में उभरी है। वन-टाइम डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर एटीएम इनेबल्ड डेबिट कार्ड प्रदान कर, निर्धारित राशि की सीमा के अंतर्गत मल्टीपल विड्रॉअल अनुमत कर और सीमा के अंतर्गत बिल्ट-इन कॉस्ट एस्कलेशन आदि के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) योजना को सरल बनाया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान, के.सी.सी. योजना और ब्याज छूट का लाभ पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी दिया गया।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, किसानों द्वारा अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए के.सी.सी. के माध्यम से लिए गए अल्पावधि कृषि ऋण को रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना, संशोधित ब्याज छूट योजना (एम.आई.एस.एस.) को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर के.सी.सी. ऋण दिया जाता है। इसके लिए, वर्तमान में, वित्तीय संस्थानों को 1.5% की ब्याज छूट दी जा रही है। इसलिए कृषि और पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन आदि सहित अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि ऋण किसानों को 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध हैं। ऋणों के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए किसानों को अतिरिक्त 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पी.आर.आई.) भी दिया जाता है; इस प्रकार ब्याज की प्रभावी दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।

वैसे तो के.सी.सी. एक मांग आधारित योजना है लेकिन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने समय-समय पर के.सी.सी. का सेचुरेशन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए हैं। वर्तमान में, 'घर-घर के.सी.सी. अभियान' चल रहा है, जिसका विशेष ध्यान पीएम किसान लाभार्थियों को के.सी.सी. का लाभ पहुंचाने और किसानों को ब्याज छूट का लाभ पहुँचाने पर है। इसके अतिरिक्त, के.सी.सी. सहित विभिन्न योजनाओं के सेचुरेशन के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने हेतु विकसित भारत संकल्प यात्रा (वी.बी.एस.वाई.) भी आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त, पीएम जनमन योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) को के.सी.सी. सहित अन्य केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से संतृप्त करना है।

अनुबंध

पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र में शुरू की गई नई योजनाएं

1. **बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि:**

वर्ष 2013-14 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट आवंटन मात्र 21933.50 करोड़ रुपये था। यह वर्ष 2024-25 में 5.58 गुना से अधिक बढ़कर 1,22,528.77 करोड़ रुपये हो गया है।

2. **न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना निर्धारित करना –**

सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिफलन के साथ एमएसपी में वृद्धि की है।

3. **पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता**

वर्ष 2019 में पीएम-किसान का शुभारंभ - यह 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान करने वाली आय सहायता योजना है। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है।

4. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इस दौरान किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 32,329 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जिसके एवज में उन्हें 1,66,925 करोड़ रुपये (अनंतिम) से अधिक के दावे का भुगतान किया गया। इस प्रकार किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम पर उन्हें लगभग 514 रुपये दावे के रूप में प्राप्त हुए। वर्ष 2023-24 में लगभग 4 करोड़ किसानों ने बीमा कराया।

5. **एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड**

एआईएफ की स्थापना के बाद से, एआईएफ के तहत 83,068 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन स्वीकृत परियोजनाओं ने 84,029 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है। एआईएफ के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयाँ, गोदाम, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयाँ, कोल्ड स्टोर परियोजनाएँ और अन्य प्रकार की फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएँ और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियाँ शामिल हैं।

6. **एफ.पी.ओ. का संवर्धन**

- 29 फरवरी, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 6,865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2027-28 तक 10,000 नए एफ.पी.ओ. के गठन और संवर्धन के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना शुरू की गई।
- अब तक नई एफ.पी.ओ. योजना के तहत 9,204 एफ.पी.ओ. पंजीकृत किए गए हैं। 4,490 एफ.पी.ओ. को 237 करोड़ रुपये का इक्विटी ग्रांट जारी किया गया है। 1,773 एफ.पी.ओ. को 410.5 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कवर जारी किया गया।

7. **किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (सॉइल हेल्थ कार्ड) उपलब्ध कराना**

पोषक तत्वों के बेहतर उपयोग के लिए वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। किसानों को करीब 22 करोड़ कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

8. **प्रति बूंद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.)**

वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक इस योजना के माध्यम से देश में सूक्ष्म सिंचाई (माइक्रो इरिगेशन) के अंतर्गत 98.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है जो 2005-06 से 2013-14 की तुलना में लगभग 133% अधिक है।

9. राष्ट्रीय खाद्य तेल - ऑयल पाम मिशन की शुरुआत

अगस्त, 2021 के दौरान नई केंद्रीय प्रायोजित योजना नामतः राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन -ऑयल पाम (एन.एम.ई.ओ.-ओ.पी.) शुरू किया गया जिसका उद्देश्य ऑयल पाम क्षेत्र के विस्तार का उपयोग करके देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना, सी.पी.ओ. उत्पादन में वृद्धि करना और खाद्य तेल के संबंध में आयात का बोझ कम करना है। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार ने देश में लगभग 1.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाम ऑयल की खेती के कवरेज के लिए केंद्रीय शेयर के रूप में 15 राज्यों को कुल 96,170.93 लाख रुपये की धनराशि के आवंटन को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35,754.76 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई और लगभग 34,078 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया गया।

10. ई-नाम विस्तार प्लेटफॉर्म की स्थापना

विभाग ने 23 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में 1389 मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत किया है। अब तक, 1.78 करोड़ किसान और 2.62 लाख व्यापारी ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान व्यापार की मात्रा (ट्रेड वॉल्यूम) 186 लाख टन से बढ़कर 194 हो जाएगी (4% वृद्धि)। एफ.पी.ओ. द्वारा व्यापार की मात्रा 2.15 लाख टन से अधिक बढ़कर 4.28 लाख टन (99% वृद्धि) हो गई।

11. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.)

भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में कुछ क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.) के तहत "भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बी.पी.के.पी.)" के माध्यम से प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। अब बी.पी.के.पी. को दिनांक 25.11.2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2184.00 करोड़ रुपये (1584 करोड़ रुपये केंद्र का शेयर और 897 करोड़ राज्य का शेयर) के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.) के रूप में मिशन मोड में अपस्केल्ड और अनुमोदित किया गया है जो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तहत एक स्टैंडअलोन योजना है।

प्राकृतिक खेती (एनएफ) एक रसायन मुक्त खेती है, जिसमें पशुधन (अधिमानतः गाय की स्थानीय नस्ल), एकीकृत प्राकृतिक खेती के तरीके और भारतीय पारंपरिक ज्ञान में निहित विविध फसल प्रणालियां शामिल हैं। इसका उद्देश्य अधिक जलवायु लचीलापन के साथ मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना और किसान को इनपुट लागत को कम करना है।

*****